

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 0.1488 hectare of forest land in favour of HPSEB, for laying of 33 KV D/C, Transmissin line from Kandrori to Damtal, within the jurisdiction of Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB611/2011 - CHA दिनांक 3-06-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा 0.1488 hectare of forest land को HPSEB, को for laying of 33 KV D/C, Transmissin line from Kandrori to Damtal, within the jurisdiction of Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती हैं।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष/bamboo Clumps कटवायें जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार तीस वृक्षों और आठ bamboo Clumps से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार CFS Lodhwan U-5 & U-70 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 1,63,685/- (एक लाख त्रैसठ हजार छः सौ पिचासी मात्र) की राशि से कुल 1.00 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
- 5 मार्गाधिकार की चौड़ाई 5 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- 6 प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टैंशन सटरिजिंग उपकरण लगाने के लिए 3 मीटर चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु सटरिजिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा। कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 2.0 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की कांट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाईन की मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों मुख्य रूप से औषधीय पौधों की प्लांटेशन प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर की जायेगी।
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 8 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

APCCF (FCM)

PCCF

11/3

प्रमुख अ.य. हि.प्र.

प्राप्त सं. 1751

दिनांक 15/7/13

- 9 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Kangra.
- 10 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटवा जायेगा।
- 11 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB611/2011 - CHA दिनांक 3-06-2013 में जारी सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Copy is forwarded to :-

Dated, Shimla-171001 the,...

6-7-13

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kangra, Distt, Kangra, Himachal Pradesh.
6. M/s Bhavani renewable energy Private Limited, Regd. Office, Sungal Tea Estate, VPO Sungal, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, HP.
7. CCF, Palampur /DFO, Palampur Forest Division & Distt. Kangra, H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.